न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—152/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/152)

1. सांवरा पुत्र चतरा, जाति जाट, निवासी तिहारी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर

अपीलांट

बनाम

1. रामधन पुत्र देवकरण
2. सुगना पुत्र देवकरण
3. गांगीलाल पुत्र बोदू
   समस्त जाति जाट, निवासी तिहारी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

असल रेस्पोडेंटरा

4. जीवण पुत्र चतरा जाट
5. पन्ना पुत्र चतरा जाट
6. हंगामी पत्नी काना जाट
7. लक्ष्मण पुत्र जोरा बैरवा
8. मन्दौर पुत्री मोवा जाट
9. रामकिशन पुत्र मोवा जाट
10. रामचंद्र पुत्र रायचंद जाट
11. लक्ष्मण पुत्र छोटू जाट
12. सूरमा पुत्री छोटू जाट
13. हरजीराम दत्तक पुत्र सूरजकरण जाट
14. हंसराज पुत्र छोटू जाट
    समस्त निवासी तिहारी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर।
16. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तिहारी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर शाखा प्रबंधक।

तरतीबी रेस्पोडेन्टरा

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.11.2021 राजस्व वाद संख्या 9/2020

उपस्थितः—

1. श्री नवीन गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सीताराम रावत, मंगलाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 15
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 14, 16 की तलबी बंद।

निर्णय

दिनांकः—10.11.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 9/2020 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेसपोडेंट ने उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंटस प्रस्तुत किया जिस पर एक पक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन विधि विरूद्ध तरीके से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2021 को स्वीकार कर लिया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवदेन किया कि प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा उक्त आदेश की जानकारी प्रार्थी को नहीं दी गई थी उक्त आदेश की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 31.5.2022 को विपक्षी द्वारा धमकी दिए जाने पर हुई तत्पश्चात नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 3.6.2022 को नकल प्राप्त हुई व आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर उक्त अपील को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जिसे अंदर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है तथा अविधिक आदेश की चुनौति देने की कोई समय सीमा नहीं होती है इसे किसी भी समय चुनौति दी जा सकती है फिर भी ऐतियात बरतते हुए किसी तकनीकी पेचीदगी में नहीं फंसने से बचने के लिए उक्त प्रार्थना–पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। कोरोना काल के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुमोटो रिट पिटिशन नम्बर 21/2022 में दिनांक 23.3.2020 से 28.2.2022 तक मियाद में छूट प्रदान की है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट दिनांक 10.6.2021 एक पक्षीय रूप से तैयार की व उभयपक्ष की अनुपस्थिति में उक्त मौका रिपोर्ट तैयार की गई, केवल प्रार्थी मांगीलाल मौका रिपोर्ट पर उपस्थित था अन्य अप्रार्थीगण अनुपस्थित थे, फिर भी आई.एल.आर कानपुरा द्वारा एक पक्षीय रूप से मौका रिपोर्ट तैयार की गई। आई.एल.आर कानपुरा द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपीलांट को पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई व अपीलांट द्वारा ऐतराज किया गया फिर भी अपीलांट की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाई गई। रेसपोडेंट/आवेदनकर्ता को अपने खेतों में जाने के लिए अन्य रास्ता उपलब्ध है फिर भी अपीलार्थी को परेशान करने की भावना से आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत जहां पर काश्तकार के पास अपनी भूमि पर जाने के लिए व अन्य कार्य करने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो काश्तकार को नया रास्ता नहीं प्रदान किया जा सकता के बावजूद आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो काबिल निरस्त योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण अंकित किए है, जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने तत्पश्चात बहस में कथन किया कि ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 2413 रकबा 0.10 व 2408 रकबा 0.18, 2409 रकबा 0.13 की कृषि भूमि ग्राम तिहारी में स्थित है। आवेदनकर्ता की अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की भूमि पास–पास है। प्रार्थीगण की भूमि के दक्षिण दिशा में सडक भूमि हाल खसरा नम्बर 2641 रकबा 0.38 व अप्रार्थी संख्या 4 हंगामी की भूमि व अप्रार्थी संख्या 5 लक्ष्मण पुत्र जोरा बैरवा की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 2421 रकबा 0.20 व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 2424 रकबा 0.32 व 2420 रकबा 0.77 को भूमि के सामने स्थित है उक्त सडक के दक्षिण से उत्तर की तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 2424, 2420, 2421, 2413 में से प्रार्थीगण आवागमन करते हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नहीं है जिस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2424, 2420, 2421, 2413 की भूमि में से आवागमन करता है, इसलिए उक्त खसरा नम्बर में से प्रार्थी को 30 फिट चौडा रास्ता विधि सम्मत आदेश पारित करते हुए दिया है। भू–अभिलेख निरीक्षण, कानपुरा ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 10.06.2021 में भी अंकन किया गया है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी तक आवागमन हेतु रास्ते की अति आवश्यकता है तथा प्रार्थी /अप्रार्थी 01 लगायत 03 के आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । तथा मौके पर अप्रार्थी सांवरा, पन्ना, जीवण पुत्रान चतरा ने खसरा नम्बर 2420 का मौके पर (रेकार्ड अनुसार नही) बंटवारा किया है जिनमें से प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 2420 के पूर्वी दिशा के हिस्से पर सांवरा पुत्र चतरा काबिज है, अपीलांट मौका रिपोर्ट मुर्तिब करते समय जान बुझकर मौके पर उपस्थित नहीं हुआ एवं मोबाईल के वार्ता करने पर ऐतराज व्यक्त करते हुए की गई कार्यवाही पर अंसतोष जाहिर किया तथा मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण के हस्ताक्षर लिये गये। मौका रिपोर्ट बनाते समय शेष अप्रार्थीगण ने स्वयं बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं थे। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। रेस्पो0 01लगायत 03/प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। रेस्पोडेन्ट 01 लगायत 03/प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लधुत्तम रास्ता है । अधीनस्थ न्यायालय ने चाहे गये रास्ते बाबत मंगायी गयी मौका रिपोर्ट राज0काश्त0अधि0 1955 के सरकारी नियम 69 की पालना करते हुए मंगायी गयी है। जो कानूनी प्रावधानो के अनुसार तैयार की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट व प्रार्थी के वैकल्पिक रास्ते के अभाव को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने 251 ए कानूनी प्रावधानो की पालना करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अप्रार्थी संख्या 03 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ता दिये जाने बाबत कोई आपत्ति नहीं की केवल रास्ते के रूप में आने वाली भूमि के बदले भूमि देने का कथन किया था। धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रास्ता देने वाले व रास्ता लेने वाले दोनो पक्षो में रास्ते में आयी भूमि के

बदले भूमि दिए जाने पर सहमति है तो उसके अनुसार काश्तकारी नियम 70(1)(1) के अनुसार भूमि दी जा सकती है परन्तु यदि दोनो पक्षो के मध्य सहमति नहीं है तो काश्तकारी नियम 70(1)(2)के अनुसार मुआवजा राशि निर्धारित की जा सकती है। अप्रार्थी संख्या 8 से 14 ने प्रकरण में सहमति प्रकट की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं की है अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है दिनांक 31.05.2022 को विपक्षी द्वारा धमकी दिये जाने पर प्रार्थी को जानकारी होना बताया है एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णित किया जाने का निवेदन किया। मान्नीय राजस्व मण्डल एवं मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अनेको सिद्धान्तो में यह स्पष्ट किया है कि प्रकरण को तकनीकी आधार पर निस्तारित न कर पक्षकारों के हक व अधिकारो का विधि सम्मत निर्धारण हेतु गुणावगुण पर निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में सलंग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03/प्रार्थीगण के खातेदारी आराजी में आने–जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। विवादित आराजी बावत् भू–अभिलेख निरीक्षण, कानपुरा ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 10.06.2021 में कथन किया कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी तक आवागमन हेतु रास्ते की अति आवश्यकता बताई तथा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं का कथन किया तथा मौके पर अप्रार्थी सांवरा, पन्ना, जीवण पुत्रान चतरा ने खसरा नम्बर 2420 का मौके पर (रिकार्ड अनुसार नही) बंटवारा किया है जिनमें से प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 2420 के पूर्वी दिशा के हिस्से पर सांवरा पुत्र चतरा काबिज है, मौके पर उपस्थित नहीं हुआ एवं मोबाईल के वार्ता करने पर ऐतराज व्यक्त करते हुए की गई कार्यवाही पर असंतोष जाहिर किया तथा मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण के हस्ताक्षर लिये गये। मौका रिपोर्ट बनाते समय अप्रार्थीगण/अपीलांट ने स्वयं बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं थे। अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय ने चाहे गये रास्ते बाबत मंगायी गयी मौका रिपोर्ट राज0काश्त0अधि0 1955 के सरकारी नियम 69 की पालना करते हुए मंगायी गयी है। जो कानूनी प्रावधानो के अनुसार तैयार की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट व प्रार्थी के वैकल्पिक रास्ते के अभाव को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने 251 ए कानूनी प्रावधानो की पालना करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अप्रार्थी संख्या 03 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ता दिये जाने बाबत कोई आपत्ति नहीं की केवल रास्ते के रूप में आने वाली भूमि के बदले भूमि

देने का कथन किया था तथा खसरा नम्बर 2413, 2421,2312 के खातेदार रास्ता दिये जाने बाबत आपत्ति नहीं कर सहमति व्यक्त की है उक्त खातेदारों द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष भी कोई अपील पेश नहीं की गई। धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रास्ता देने वाले व रास्ता लेने वाले दोनो पक्षो में रास्ते में आयी भूमि के बदले भूमि दिए जाने पर सहमति है तो उसके अनुसार काश्तकारी नियम 70(1)(1) के अनुसार भूमि दी जा सकती है परन्तु यदि दोनो पक्षो के मध्य सहमति नहीं है तो काश्तकारी नियम 70(1)(2)के अनुसार मुआवजा राशि निर्धारित की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं की है अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपील खारिज योग्य पायी जाती है।

10. उपरोक्त विवेचन के कम में अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 9/2020 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2021 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 10.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर